दिनांक 11.10.2023 को हुई बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–6538 दिनांक 11.10.2023 के कम में आज दिनांक 11.10.2023 को मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय मुख्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल में ऑनलाई माध्यम से बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित मा0 सदस्यगण ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित रहे–

1. **श्री के0 आर0 भट्ट, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।**
2. **प्रो0 वी0पी0 श्रीवास्तव, परीक्षा नियन्त्रक, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।**
3. **डॉ0 बी0एल0 आर्य, सहायक परीक्षा नियन्त्रक, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड वि0वि0।**
4. **प्रो0 एम0 एस0 रावत, निदेशक, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**
5. **प्रो0 पी0के0 सिंह, डी0 एस0 डब्ल्यू0, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**
6. **प्रो0 दिनेश शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**
7. **प्रो0 वाई0 के0 शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लम्बगांव।**
8. **प्रो0 परवेज अहमद, जन्तु विज्ञान विभाग, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**
9. **प्रो0 पुष्पांजली आर्य, अर्थशास्त्र विभाग, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**
10. **डॉ0 अरूणा पी0 सूत्रधार, भूगोल विभाग, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।**

सर्वप्रथम बैठक में ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित सदस्यों का मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वागत करते हुये बैठक प्रारम्भ की गयी। तदोपरान्त बैठक में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित छात्रसंघ संविधान 2023/24 हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

बिन्दु 01–छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करने के लिये छात्र–छात्राओं को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में कम से कम विगत 01 वर्ष से संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

- समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करने के लिये छात्र–छात्राओं को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में अब विगत वर्ष 2022–23 में संचालित छात्र संघ संविधान के आधार पर छात्र संघ चुनाव संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित संविधान 2023–24 में उल्लिखित 01 के संस्थागत छात्र होने से सम्बन्धित प्रकरण पर अलग से समिति विचार करेगी। इसे इस वर्ष लागू नहीं किया जायेगा।
- समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक पाठ्यकमों के छात्र–छात्राओं से छात्रसंघ मद में शुल्क लिये जाने के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यकमों के छात्र–छात्राओं को छात्रसंघ चुनाव में सम्मिलित करा दिया जाय। व्यावसायिक पाठ्यकमों का अर्थ ऐसे समस्त पाठ्यकमों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय

E:\Rawat\Office Work\Forwording

द्वारा परीक्षा के उद्देश्य नियंत्रित किया जा रहा हो अथवा परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित किया जा रहा हो।

- विश्वविद्यालय परिसर में नव प्रवेशित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 के छात्र–छात्राओं से इस वर्ष छात्र संघ शुल्क उनके द्वारा प्रदत्त ट्यूशन फीस से ले लिया जाय तथा अगले वर्ष इस शुल्क को छात्र–छात्राओं से फीस के अतिरिक्त ले लिया जाय।
- एम0 ए0 योगा एवं एम0एस0सी0 माईक्राबायोलॉजी के छात्र–छात्राओं से शुल्क लेकर उन्हें भी छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाय।

बिन्दु 02–छात्र संघ का स्वरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में पदाधिकारी का एक पद चक्रानुक्रम में छात्राओं के लिये आरक्षित होगा।

- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–1127/XXIV(4)/2018-25(11)/2017 T.C. दिनांक 28.08.2018 के बिन्दु संख्या–12 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा–उपाध्यक्ष का पद आरक्षित होगा तथा अगले वर्ष से पदाधिकारियों के पद हेतु चक्रानुक्रम में छात्राओं के लिये पद आरक्षित होंगे, के अनुसार परिसर/महाविद्यालय अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

बिन्दु 03–श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा दो बार स्नातकोत्तर करने पर रोक लगायी गयी है, जो कि विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित कर रहा है।

- समिति द्वारा बिन्दु संख्या 03 के क्रम में निर्णय लिया गया कि पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा समिति का गठन कर अन्य विश्वविद्यालयों का परीक्षण कर लिया जाय तदोपरान्त गठित समिति के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

बिन्दु 04–यू0जी0सी0 के नियमों का उल्लघंन न किया जाय एवं लिंगदोह 2006 नियमावली के अनुसार ही छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न कराया जाय।

- समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव विगत वर्ष की भांति मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाय।

(खेमराज भट्ट),
कुलसचिव।

E:\Rawat\Office Work\Forwording